Refund Order Cheques

51. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the nationalised banks are following a collecting procedure whereby third party refund orders or cheques presented by a credit society on behalf of its members are cleared and credited to the account of the credit society;

(b) if so, whether such a procedure is detrimental to the interests of the actual beneficiaries of the refund order cheques; and

(c) what is the legal position in this regard under the Negotiable Instruments Act?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) Reserve Bank of India (RBI) have reported that no such procedure is generally followed by the commercial banks whereby third party refund orders/ cheques are cleared and credited to the account of the credit society. However, certain instances of some banks collecting instruments presented by credit societies have come to the notice of the RBI.

(b) Yes, Sir.

(c) RBI have reported that if a bank credits the accounts of a constituent who is not the payee named in the cheque, without proper mandate of the drawer, it does so at its own risk and will be responsible for the unauthorised payment.

राष्ट्रीयकृत बैंकों को हुए घाटे

52. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले चार वर्षों के दौरान, घाटा उठा रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विभिन्न राज्यों में विभिन्न संस्थाओं को जनसेवा के नाम पर दान स्वरूप धन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बैंकों को हुए घाटे के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किये हैं;

(ङ) इनमें से प्रत्येक बैंक की फिजूल खर्ची का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक बैंक को हुए घाटे के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, बैंकों को, पिछले वर्ष के प्रकाशित लाभ का वार्षिक समग्र अधिकतम सीमा का 2% राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त/प्रायोजित राष्ट्रीय और अन्य निधियों में दान देने के साथ-साथ सामान्य दान करने की अनुमति दी गई है। मार्च 1993 को समाप्त पिछले 4 वर्ष के दौरान घाटे में चल रहे बैंकों को कोई दान करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अलबत्ता, सितम्बर, 1993 में एक विशेष मामले के रूप में घाटे में चल रहे बैंकों को, प्रत्येक को 3 लाख रुपए तक का "सामान्य" दान करने की अनुमति दी गई थी। तत्पश्चात, अक्तूबर, 1993 में, इन बैंकों को यह भी अनुमति दी गई कि यदि आवश्यक हो, तो राष्ट्रीय निधि या भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों को 3 लाख रुपए के ऊपर एक उपयुक्त राशि दान कर सकते हैं।

राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) बैंकों को हो रही हानियों के मुख्य कारण ये हैं कि ऐसे निष्क्रिय ऋणों की संख्या बहुत अधिक है जिनसे बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता है। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अधिकांश भाग पर वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर में प्रति-सहायता से भी बैंकों की आय पर प्रभाव पड़ता है। उन बैंकों के मामलों